संख्या-172/2016/आर-3754/26-3-2016-10(55)/2002

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23 सितम्बर, 2016

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना **एकीकृत जनजाति विकास परियोजना खीरी व थारू विकास परियोजना बलरामपुर** के अंतर्गत चिकित्सालयों का संचालन के अंतर्गत किये गये आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-136/ज0जा0वि0/2016-17, दिनांक-06-09-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की एकीकृत जनजाति विकास परियोजना खीरी व थारू विकास परियोजना बलरामपुर के अंतर्गत चिकित्सालयों के संचालन के अंतर्गत किये गये आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपया-3.25 लाख (रूपया तीन लाख पच्चीस हजार मात्र) को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग(जनजाति कल्याण) आयोजनागत (रूपये लाख में)

लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि 2016-17
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण- 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- 04-एकीकृत जनजाति विकास परियोजना खीरी व थारू विकास परियोजना बलरामपुर के अंतर्गत चिकित्सालयों का संचालन-	
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.50
39-औषधि तथा रसायन-	2.25
42-अन्य व्यय-	0.50
योग-04	3.25

(रूपये तीन लाख पच्चीस हजार मात्र)

(1) उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा तथा किसी भी दशा में धनराशि का जनजाति विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य मद में कदापि व्यय न किया जाय। यदि उक्त धनराशि को अन्य किसी मद में व्यय किया गया तो उसका उत्तरदायित्व आपका होगा। धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबंधों तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में स्वीकृत कोई भी धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है। सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया गया है और उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी धनराशि का तुरन्त व्यय किये जाने की आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक धनराशि का आहरण कदापि न किया जाय।

(4) उक्त स्वीकृत पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होगें जो वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 ए में दिये गये हैं।

2- उपर्युक्त योजना मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-'2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनागत-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-04-एकीकृत जनजाति विकास परियोजना खीरी व थारू विकास परियोजना बलरामपुर के अंतर्गत चिकित्सालयों का संचालन' के अंतर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-172/2016/आर-3754(1)/26-3-2016-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखीमपुरखीरी/बलरामपुर ।
3. कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
6. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।